बिहार सरकार

अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय

(योजना एवं विकास विभाग)

का०आ०सं०– स्था०1/आ०2–31/2015 159 पटना, दिनांकः 29-10-2020

कार्यालय आदेश

श्री श्रीकान्त प्रसाद, कनीय सांख्यिकी सहायक, जिला सांख्यिकी कार्यालय, औरंगाबाद के विरूद्ध जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, औरंगाबाद के पत्रांक–22 (मु०)/सां० दिनांक–22.09.2015 द्वारा समर्पित आरोप पत्र के आलोक में निदेशालय के का०आ०सं०–263 सहपठित ज्ञापांक–1747 दिनांक–09.11.2015 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–17 के तहत विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की गयी। उक्त विभागीय कार्यवाही में अपर समाहर्त्ता, औरंगाबाद को संचालन पदाधिकारी तथा अनुमंडल पदाधिकारी, औरंगाबाद को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

श्री श्रीकान्त प्रसाद के विरूद्ध आरोप पत्र में निम्न आरोप गठित किये गये :–

" (i) श्री श्रीकान्त प्रसाद दिनांक–10.09.2015 से बिना अवकाश स्वीकृत कराये अनाधिकृत रूप से कार्यालय एवं जिला मुख्यालय से आज दिनांक–22.09.2015 तक अनुपस्थित हैं। उनकी यह अनाधिकृत अनुपस्थिति उनके अनुशासहीनता, स्वेच्छाचारिता एवं कर्त्तव्यहीनता को दर्शाता है। साथ उनके इस कृत से उनको सौपें गये सभी कार्य बाधित हैं।

(ii) श्री प्रसाद के उक्त अनुपस्थिति के संबंध में जिला सांख्यिकी पदाधिकारी द्वारा पत्रांक–16, दिनांक–10.09.2015 एवं पत्रांक–19 दिनांक–16.09.2015 के माध्यम से स्पष्टीकरण मॉगा गया। जिसका जबाब आज तक अप्राप्त है, जो धोर लापरवाही का द्योतक है।

(iii) श्री प्रसाद की प्रतिनियुक्ति बिहार विधान सभा निर्वाचन, 2015 के सफल संचालन हेतु गठित निर्वाचन व्यय लेखा कोषांग VVT टीम में जिला निर्वाचन पदाधिकारी–सह–जिला पदाधिकारी के आदेश पत्रांक–16, दिनांक–09.09.2015 के द्वारा की गई थी। परन्तु इनके द्वारा आज तक व्यय लेखा कोषांग में योगदान नहीं किया गया है। इनके इस कृत से जिला निर्वाचन पदाधिकारी–सह–जिला पदाधिकारी द्वारा इनपर निर्वाचन कार्य में बाधा डालने, कार्य के प्रति लापरवाही बरतने एवं बिना जिला निर्वाचन पदाधिकारी से अवकाश स्वीकृत कराये अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने का आरोप लगाया गया है।"

2. अपर समाहर्त्ता–सह–संचालन पदाधिकारी, औरंगाबाद के पत्रांक–2845/रा० दिनांक–17.09.2018 द्वारा संचालन प्रतिवेदन समर्पित किया गया। समर्पित संचालन प्रतिवेदन में संचालन पदाधिकारी का मंतव्य निम्नवत् है :–

(i) आरोप संख्या–01 :– आरोप प्रमाणित नहीं है।

(ii) आरोप संख्या–02 :– साक्ष्य के अभाव में स्पष्टीकरण समर्पित नहीं किये जाने संबंधी आरोप अंशतः प्रमाणित है।

(iii) आरोप संख्या–03 :–आरोप प्रमाणित नहीं है ।

3. संचालन प्रतिवेदन प्राप्त होने पर निदेशालय का पत्रांक–499 दिनांक–07.03.2019 द्वारा जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, औरंगाबाद से श्री श्रीकान्त प्रसाद अभीतक अपने कर्त्तव्य पर उपस्थित हुए है या नहीं, के संबंध में प्रतिवेदन की मॉग की गयी । जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, औरंगाबाद के पत्रांक–109/सां० दिनांक–08.03.2019 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि श्री प्रसाद दिनांक–10.09.2015 से प्रतिवेदन की तिथि तक अपने कार्य पर उपस्थित नहीं हुए हैं।

4. उक्त तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए संचालन पदाधिकारी–सह–अपर समाहर्त्ता, औरंगाबाद के प्रतिवेदन पर बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 18(2) के तहत असहमति का बिन्दु गठित किया गया जो निम्नवत् है :–

" बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2015 के सफल संचालन हेतु निर्वाचन व्यय लेखा कोषांग में आपको विडियो अवलोकन टीम में जिला निर्वाचन पदाधिकारी–सह–जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद के ज्ञापांक–16 दिनांक–09.09.2015 द्वारा प्रतिनियुक्त किया गया था लेकिन आप दिनांक–10.09.2015 से जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, औरंगाबाद एवं जिला निर्वाचन पदाधिकारी–सह– जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद के अनुमति के बिना चिकित्सीय आधार पर अनुपस्थित हो गये। आपके द्वारा टूटे हुए पैर में दर्द के कारण दिनांक–11.09.2015 से 12.09.2015 तक आकस्मिक अवकाश एवं मुख्यालय छोड़ने की अनुमति हेतु आवेदन दिनांक–10.09.2015 को दिया गया जिस पर जिला सांख्यिकी पदाधिकारी द्वारा यह लिखते हुए आपका आवेदन अस्वीकृत कर दिया गया कि बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2015 हेतु घोषित आदर्श आचार संहिता के तहत जिला निर्वाचन पदाधिकारी–सह–जिलाधिकारी से अनुमति प्राप्त कर ही मुख्यालय छोड़ा जा सकता है। अभिलेख से स्पष्ट होता है कि आप दिनांक–09.09.2015 के शाम एवं 10.09.2015 को सदर अस्पताल, औरंगाबाद में अपना चिकित्सा कराये थे। इसके आलोक में आपके द्वारा जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, औरंगाबाद /जिला निर्वाचन पदाधिकारी–सह–जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद से मिलकर अपनी समस्या को रखना चाहिए था जो आपके द्वारा नहीं किया गया। आपके विरूद्ध आरोप पत्र जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, औरंगाबाद द्वारा दिनांक–22.09.2015 को भरा गया और उक्त तिथि तक आप कार्यालय और जिला मुख्यालय से अनुपस्थित थे। अभिलेख में रक्षित आपके आवेदन दिनांक–10.10.2015 से स्पष्ट होता है कि आपके द्वारा दिनांक–11.09.2015 से चलने फिरने होने तक चिकित्सीय अवकाश में रहने देने एवं मुख्यालय छोड़ने का अनुरोध किया गया है।

संचालन प्रतिवेदन के साथ संलग्न अभिलेखों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि दिनांक–09.09.2015 को आप अचानक गिर गये थे जिसके कारण आपका टुटा हुआ पैर जिसमें रॉड लगा हुआ था, में काफी दर्द हुआ जिसका आपके द्वारा ईलाज करवाया गया। अंततः आपने पाटलिपुत्रा डिवाइन हॉस्पिटल प्रा०लि०, पटना में कराया जिसके डिस्चार्ज समरी से स्पष्ट होता है कि उस अस्पताल में आप दिनांक–21.04.2016 को भर्त्ती हुए और दिनांक–24.04.2016 को वहॉ से डिस्चार्ज हुए। इतने दिनों में आप कभी भी कर्त्तव्य स्थल पर उपस्थित नहीं हुए। जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, औरंगाबाद के पत्रांक–109/सां०

दिनांक–08.03.2019 द्वारा भी यह प्रतिवेदित किया है कि आप दिनांक–10.09.2015 से दिनांक 08.03.2019 तक अपने कर्त्तव्य पर उपस्थित नहीं हुए हैं।

उपर्युक्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि आप जानबूझकर अपने कर्त्तव्य से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित हैं। आपकी यह अनाधिकृत अनुपस्थिति आपकी अनुशासनहीनता, स्वेच्छाचारिता, कर्त्तव्यहीनता एवं घोर लापरवाही को दर्शाता है। आपका यह आचरण बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के नियम 3(1) का सर्वथा उल्लंघन है।"

5. उक्त गठित असहमति के बिन्दु पर बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम –18(3) के तहत श्री श्रीकान्त प्रसाद से अभ्योवदन प्राप्त किया गया। श्री प्रसाद ने समर्पित अपने अभ्यावेदन में निम्न तथ्यों का उल्लेख किया है :–

" वे दिनांक–09.09.2015 को कार्यालय के शौचालय में शौच करने के क्रम में फिसलकर गिर गये थे जिसके कारण पूर्व से टुटा हुआ पैर जिसमें रॉड फिक्स किया हुआ था वह विचलित हो जाने के कारण असहनीय दर्द से पीड़ित एवं चलने–फिरने में लाचार हो गये थे। औरंगाबाद सदर अस्पताल में इलाज करवाया, परन्तु कोई फायदा नहीं हुआ। दिखलाने के ख्याल से दिनांक–10.09.2015 को मुख्यालय छोड़ने का आवेदन पत्र श्री जितेन्द्र सिंह, कनीय सांख्यिकी सहायक, औरंगाबाद को समर्पित किया। उस समय असहनीय दर्द, चिंताजनक स्थिति एवं चलने फिरने से असमर्थ रहने के कारण वे जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद से अपनी समस्या को नहीं रख पाये। कुछ समय के लिए वे वेहोशी अवस्था में थे। स्थिति को देखते हुए इसकी सूचना दिनांक–12.09.2015 को जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, औरंगाबाद एवं दिनांक–14.09.2015 को जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद कार्यालय को निबंधित डाक से दे दिया। वे जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, औरंगाबाद से अनुरोध किये कि उनके पास पैसा का काफी अभाव है। उनका बकाया वेतन, बकाया मँहगाई भत्ता एवं ऑपरेशन कराने के लिए पैसा देने की कृपा की जाय परन्तु जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, औरंगाबाद अपनी जिम्मेदारी को भूलकर उनके बारे में जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद से झूठ बात बताकर त्वरित कार्रवाई में देर नहीं किये बल्कि और बैक डेट में हस्ताक्षर कर अगले आदेश तक वेतन स्थगित एवं विभागीय कार्रवाई हेतु प्रपत्र 'क' गठित कर सभी संबंधित विभाग में भेजकर बेवजह फँसाने में लगे रहे और तंग करते रहे।

रॉड विचलित हो जाने के कारण असहनीय दर्द एवं चलने फिरने से लाचार हो गये। उसी समय से मधुमेह काफी बढ़ गया। मधुमेह बढ़ जाने के कारण कोई भी डाक्टर उनका रॉड निकालने के लिए तैयार नहीं हुए। ऑपरेशन करने के लिए पाटलीपुत्रा डिवाइन हॉस्पिटल प्रा०लि०, पटना के तैयार होने पर अस्पताल में दिनांक–21.04.2016 को भर्त्ती हुआ और ऑपरेशन कर रॉड निकालने के बाद दिनांक–24.04.2016 को वहाँ से डिस्चार्ज हुआ। ऑपरेशन का टांका दिनांक–12.05.2016 को काटा गया। उस समय से अभीतक उनका मधुमेह काफी बढ़ा हुआ रहता है। डॉक्टर के कथनानुसार ठीक होने में समय लगेगा।

साथ ही चलने–फिरने के लायक होने तक रूग्नावकाश में रहने देने का अनुरोध इनके द्वारा किया गया है।

दिनांक--08.03.2019 द्वारा भी यह प्रतिवेदित किया है कि आप दिनांक–10.09.2015 से दिनांक 08.03.2019 तक अपने कर्त्तव्य पर उपस्थित नहीं हुए हैं।

उपर्युक्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि आप जानबूझकर अपने कर्त्तव्य से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित हैं। आपकी यह अनाधिकृत अनुपस्थिति आपकी अनुशासनहीनता, स्वेच्छाचारिता, कर्त्तव्यहीनता एवं घोर लापरवाही को दर्शाता है। आपका यह आचरण बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के नियम 3(1) का सर्वथा उल्लंघन है।"

5. उक्त गठित असहमति के बिन्दु पर बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम –18(3) के तहत श्री श्रीकान्त प्रसाद से अभ्योवदन प्राप्त किया गया। श्री प्रसाद ने समर्पित अपने अभ्यावेदन में निम्न तथ्यों का उल्लेख किया है :–

" वे दिनांक–09.09.2015 को कार्यालय के शौचालय में शौच करने के क्रम में फिसलकर गिर गये थे जिसके कारण पूर्व से टुटा हुआ पैर जिसमें रॉड फिक्स किया हुआ था वह विचलित हो जाने के कारण असहनीय दर्द से पीड़ित एवं चलने–फिरने में लाचार हो गये थे। औरंगाबाद सदर अस्पताल में इलाज करवाया, परन्तु कोई फायदा नहीं हुआ। दिखलाने के ख्याल से दिनांक–10.09.2015 को मुख्यालय छोड़ने का आवेदन पत्र श्री जितेन्द्र सिंह, कनीय सांख्यिकी सहायक, औरंगाबाद को समर्पित किया। उस समय असहनीय दर्द, चिंताजनक स्थिति एवं चलने फिरने से असमर्थ रहने के कारण वे जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद से अपनी समस्या को नहीं रख पाये। कुछ समय के लिए वे वेहोशी अवस्था में थे। स्थिति को देखते हुए इसकी सूचना दिनांक–12.09.2015 को जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, औरंगाबाद एवं दिनांक–14.09.2015 को जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद कार्यालय को निबंधित डाक से दे दिया। वे जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, औरंगाबाद से अनुरोध किये कि उनके पास पैसा का काफी अभाव है। उनका बकाया वेतन, बकाया मॅहगाई भत्ता एवं ऑपरेशन कराने के लिए पैसा देने की कृपा की जाय परन्तु जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, औरंगाबाद अपनी जिम्मेदारी को भूलकर उनके बारे में जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद से झूठ बात बताकर त्वरित कार्रवाई में देर नहीं किये बल्कि और बैक डेट में हस्ताक्षर कर अगले आदेश तक वेतन स्थगित एवं विभागीय कार्रवाई हेतु प्रपत्र 'क' गठित कर सभी संबंधित विभाग में भेजकर बेवजह फॅसाने में लगे रहे और तंग करते रहे।

रॉड विचलित हो जाने के कारण असहनीय दर्द एवं चलने फिरने से लाचार हो गये। उसी समय से मधुमेह काफी बढ़ गया। मधुमेह बढ़ जाने के कारण कोई भी डाक्टर उनका रॉड निकालने के लिए तैयार नहीं हुए। ऑपरेशन करने के लिए पाटलीपुत्रा डिवाइन हॉस्पिटल प्रा०लि०, पटना के तैयार होने पर अस्पताल में दिनांक–21.04.2016 को भर्त्ती हुआ और ऑपरेशन कर रॉड निकालने के बाद दिनांक–24.04.2016 को वहॉ से डिस्चार्ज हुआ। ऑपरेशन का टांका दिनांक–12.05.2016 को काटा गया। उस समय से अभीतक उनका मधुमेह काफी बढ़ा हुआ रहता है। डॉक्टर के कथनानुसार ठीक होने में समय लगेगा।

साथ ही चलने–फिरने के लायक होने तक रूग्नावकाश में रहने देने का अनुरोध इनके द्वारा किया गया है।

ix. From 19.05.2016 to 18.12.2019 underwent treatment by Rajnish Kumar Sinha, Consultant Occupational Therapist, New Delhi for which no body advised for Physiotherapist and the report of nine pages given to the patient seems to be made in one sitting.

Conclusion :- On the basis of documents submitted by Shri Shrikant Prasad and examined by the Medical Board, the board comes to the conclusion that the submission of the above noted document for e.g. 11.09.2015 to 27.09.2015, 29.09.2015 to 27.12.2015 does not justifies his long duration treatment especially the physiotherapy part and that was also not advised by any doctor.

And therefore board does not justify his (Shri Shrikant Prasad) long duration treatment."

8. श्री श्रीकान्त प्रसाद, अवर सांख्यिकी पदाधिकारी, जिला सांख्यिकी कार्यालय, औरंगाबाद के विरूद्ध गठित आरोप पत्र प्रपत्र 'क' पर संचालन पदाधिकारी का प्रतिवेदन एवं श्री प्रसाद की लंबे समय तक कार्यालय के Medical Ground पर अनुपस्थिति के संबंध में Medical Board द्वारा समर्पित प्रतिवेदन के आधार पर स्पष्ट है कि श्री प्रसाद जानबूझकर अपने कर्त्तवय से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित हैं। ऐसा लगता है कि चुनाव ड्युटि से बचने के लिए श्री प्रसाद द्वारा इतनी लंबी/दूरदृष्टि योजना बनाई गई है।

यह अनाधिकृत अनुपस्थिति उनके अनुशासनहीनता, स्वेछाचारिता, गैर जिम्मेदाराना, कर्त्तव्यहीनता एवं घोर लापरवाही को दर्शाता है। अतएव इनका अभ्यावेदन स्वीकार योग्य नहीं है।

9. अतः अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री श्रीकान्त प्रसाद पर संचयात्मक प्रभाव के बिना 2(दो) वेतनवृद्धि पर रोक लगाने का दंड अधिरोपित करने एवं भविष्य में इस तरह के लापरवाही के पुनरावृति नहीं होने का सख्त निदेश देने का निर्णय लिया गया है।

10. अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री श्रीकान्त प्रसाद, अवर सांख्यिकी पदाधिकारी, जिला सांख्यिकी कार्यालय, औरंगाबाद पर बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के भाग–V के शास्तियॉ के कंडिका–14(V) में किये गये प्रावधान के तहत संचयात्मक प्रभाव के बिना 2 (दो) वेतनवृद्धि पर रोक लगाने का दंड अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है तथा भविष्य में इस तरह के लापरवाही के पुनर्रावृति नहीं होने का सख्त निदेश दिया जाता है।

ह०/–

(राजेश्वर प्रसाद सिंह)

निदेशक

ज्ञापांकः– स्था०1/आ०2–31/2015-2069 पटना, दिनांकः 29-10-2020

प्रतिलिपिः–सचिव के आप्त सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना ।

2. जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

3. जिला कोषागार पदाधिकारी, औरंगाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

4. जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, औरंगाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
5. श्री सुदामा कुमार, आई०टी०मैनेजर, योजना एवं विकास विभाग को निदेशालय मुख्यालय के वेब–साईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
6. श्री श्रीकान्त प्रसाद, अवर सांख्यिकी पदाधिकारी, जिला सांख्यिकी कार्यालय, औरंगाबाद, पिता– श्री राम प्रसाद सिंह, ग्राम–धरमपुर, पोस्ट+थाना– हुलासगंज, जिला–जहानाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक 29/1

" जन्म हो या मरण, जरूरी हैं पंजीकरण"